कार्यालय वन मण्डल अधिकारी, सामान्य वनमण्डल रायसेन (म0प्र0)

जिला एवं सत्र न्यायालय के सामने सांची रोड रायसेन (म.प्र.)

E-mail - dfot.rsn@mp.gov.in (Phone & Fax No. 07482 - 222027)

क्रमांक/माचि/1934 रायसेन, दिनांक 24/07/2024

प्रति,

संभागीय प्रबंधक
म0प्र0 सड़क विकास निगम
45-ए अरेरा हिल्स भोपाल म0प्र0।

विषय :- Proposal for Divesion of 6.930 ha Forest land for Constructions of **Garhi-Ahmedpur** Road Under ADB VI/VII Project of MPRDC PKG 4 Under Raisen Forest Division in Raisen District MP.

संदर्भ :- आपका ऑनलाईन प्रस्ताव क्रमांक /FP/MP/ROAD/149386/2021 दिनॉक 30.11.2022 एवं अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) म0प्र0 भोपाल का पत्र क्रमांक/एफ-5/1294/2023/10-11/3219 दिनांक 19.06.2024 तथा भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय भोपाल का पत्र क्रमांक/6-MPR036/2023-BHO/I/74898 दिनांक 18.06.2024 एवं इस कार्यालय का पत्र कमांक/माचि/1754 दिनांक 24.06.2024 तथा वन संरक्षक भोपाल वृत्त भोपाल का आदेश क्रमांक/माचि/260 दिनांक 24.07.2024

--- 00 ---

विषयांकित प्रकरण के संबंध में लेख है कि अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) म0प्र0 भोपाल के संदर्भित पत्र के साथ भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय भोपाल का संदर्भित पत्र दिनांक 18.06.2024 इस कार्यालय को प्राप्त हुआ है जिसके अनुसार भारत सरकार द्वारा रायसेन जिले के अंतर्गत वनभूमि मे **गढ़ी-अहमदपुर** मार्ग निर्माण कार्य हेतु कुल 6.930 हेक्टेयर वनभूमि उपयोग की प्रथम चरण की सशर्त सैद्धांतिक स्वीकृति जारी की गई है। भारत सरकार द्वारा जारी प्रथम चरण की सशर्त सैद्धांतिक स्वीकृति मे अधिरोपित निम्नानुसार शर्तो मे आवेदक संस्थान से राशि प्राप्त की जाना है जिसका विवरण निम्नानुसार है :-

A : Conditions which need to be complied prior to handing over of forest land by the State Forest Department.

शर्त क्रमांक-1

Cost of compensatory afforestation on the 13.860 ha Chhote-Bade Jhad ke Jungle Land at prevailing wage rates as per compensatory afforestation scheme (including the cost of survey, demarcation and erection of permanent pillars etc. as required for securing the land against encroachment) shall be deposited in advance with the State Forest Department by the project authority. The CA will be maintained for 10 years. The scheme may include appropriate provision for anticipated cost increase for works scheduled for subsequent years.

सामान्य वन मण्डल रायसेन के अंतर्गत उपरोक्त प्रस्तावित गढ़ी-अहमदपुर मार्ग निर्माण कार्य हेतु कुल 6.930 हेक्टेयर वनभूमि के बदले तहसील सिलवानी जिला रायसेन के अंतर्गत ग्राम घूरपुर के खसरा क्रमांक 125 मे से प्राप्त 4.380 हेक्टेयर एवं खसरा क्रमांक 126 मे से प्राप्त 9.480 हेक्टेयर **कुल 13.860 हेक्टेयर** दुगनी गैर वनभूमि (नोईयत छोटे-बड़े झाड़ का जंगल मद) पर वैकल्पिक वृक्षारोपण एवं रखरखाब की वर्तमान मे जारी दिशा-निर्देशानुसार क्षतिपूर्ति वनीकरण योजना तैयार की गई है। अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) म0प्र0 भोपाल के संदर्भित पत्र से प्राप्त निर्देशानुसार वैकल्पिक वृक्षारोपण योजना की राशि का भुगतान कैम्पा मद मे ऑनलाईन जमा किया जाना है। प्रस्तावित वैकल्पिक वृक्षारोपण योजना की कुल **राशि 9296008/-** निर्धारित है।

शर्त क्रमांक-4

The State Government shall charge Net Present Value (NPV) for the 6.930 ha forest area to be diverted under this proposal from the User Agency as per orders of the Hon'ble Supreme Court of India dated 30/10/2002, 01/08/2003, 28/03/2008, 24/04/2008 and 09/05/2008 in IA No. 566 in WP (C) No. 202/1995 and as per the guidelines issued by the Ministry vide letters No. 5-1/1998-FC (Pt.II) dated 18/09/2003, as well as letter No. 5-2/2006-FC dated 03/10/2006 and 5-3/2007-FC dated 05/02/2009, 5-3/2011-FC (Vol-I) dated 06/01/2022 in this regard.

सामान्य वन मण्डल रायसेन के अंतर्गत उपरोक्त प्रस्तावित गढ़ी-अहमदपुर मार्ग निर्माण कार्य हेतु कुल 6.930 हेक्टेयर वनभूमि सम्भागीय प्रबंधक म0प्र0 सड़क विकास कॉर्पोरेशन लिमिटेड भोपाल को उपयोग पर देने हेतु एन.पी.व्ही. की राशि वसूल किया जाना है। नेट प्रजेन्ट वैल्यू (एन.पी.व्ही.) की राशि जमा करने के संबंध मे भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नई दिल्ली के आदेश

क्रमांक / 5-3 2011-FC(Vol-I) दिनांक 06 जनवरी 2022 द्वारा वनो की ईको वैल्यू श्रेणी (वनो के प्रकार व घनत्व के आधार पर) अनुसार व्यपवर्तन हेतु प्रस्तावित वनभूमि का वर्तमान शुद्ध मूल्य (एन.पी.व्ही.) की राशि का निर्धारण किया गया है। परियोजना से संबंधित कक्ष क्रमांकों (RF-36, RF-38, RF-37, RF-35, PF-987, RF-48, PF-988) मे ईको वैल्यू श्रेणी उष्णकटीबंधीय शुष्क पर्णपाती वन तथा वनो का घनत्व 0.6 तक है (मध्यम घनत्व वनक्षेत्र / Dense Forest)। अतः एन.पी.व्ही. की राशि 1228590 / – रू प्रति हेक्टेयर की दर से 6.930 हेक्टेयर की **राशि रू 8514128 / –** देय होगी। अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध) म0प्र0 भोपाल के संदर्भित पत्र एवं भारत सरकार से प्राप्त निर्देशानुसार उपरोक्त भुगतान कैम्पा मद मे ई–पोर्टल (https://parivesh.nic.in/) के माध्यम से जमा कराई जाना सुनिश्चित करें।

शर्त क्रमांक–8

The User agency shall submit road side plantation scheme in consusltation with the State forest department and the plantation shall be carried out by SFD at the coast of the user agency.

सामान्य वन मण्डल रायसेन के अंतर्गत उपरोक्त प्रस्तावित गढी–अहमदपुर मार्ग के किनारे कुल 8625 र.मी. मे 4X4 के अन्तराल मे दो पंक्तियों मे कुल 4312 मिश्रित प्रजाति के पौधों का रोपण किये जाने हेतु रोड साईड तैयार की गई है जिसकी तकनीकी स्वीकृति वन संरक्षक भोपाल वृत्त भोपाल द्वारा उनके आदेश क्रमांक / माचि / 260 दिनांक 24.07.2024 द्वारा जारी की गई है। प्रस्तावित रोड साईड वृक्षारोपण योजना की कुल राशि 13946269 / – निर्धारित है जिसमें से पर्यवेक्षण शुल्क राशि 1267843 / – कम करके **राशि 12678427 / –** ऑनलाईन कैम्पा मद मे ई–पोर्टल (https://parivesh.nic.in/) के माध्यम से जमा कराई जाना सुनिश्चित करें। पर्यवेक्षण शुल्क राशि 1267843 / – जमा करने हेतु पृथक से मांग पत्र जारी किया जा रहा है।

प्रकरण के संबंध मे आप द्वारा निम्नानुसार राशि ई–पोर्टल के माध्यम से कैम्पा मद मे ऑनलाईन जमा की जानी है :–

शर्त क्रमांक–1

वैकल्पिक वृक्षारोपण योजना की राशि	**9296008 / –**

शर्त क्रमांक–4

एन.पी.व्ही. की राशि	**8514128 / –**

शर्त क्रमांक–8

रोड साईड वृक्षारोपण योजना की राशि	**12678427 / –**
कुल राशि	**30488563 / –**

अतः प्रकरण के संबंध मे भारत सरकार द्वारा जारी प्रथम चरण की सशर्त सैद्धांतिक अनुमति मे अधिरोपित उपरोक्त शर्त क्रमांक–1 एवं 4 तथा A–8 से की पूर्ति हेतु उपरोक्तानुसार राशि ई–पोर्टल के माध्यम से कैम्पा मद मे ऑनलाईन जमा कर तथा उपरोक्त शर्तो से हटकर शेष समस्त शर्तो का पालन प्रतिवेदन टेबुलर फार्म मे मय वचन पत्र के 04 प्रतियों मे इस कार्यालय को प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें ताकि पालन प्रतिवेदन अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध) म0प्र0 भोपाल को अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित किया जा सके।

(विजय कुमार)
भा.व.से.
वन मण्डलाधिकारी,
सामान्य वनमण्डल रायसेन

पृ0क्रमांक / माचि / रायसेन, दिनॉक / 07 / 2024

प्रतिलिपि :–

1 अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध) म0प्र0 भोपाल की ओर उनके संदर्भित पत्र एवं भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय भोपाल के आपको पृ0 पत्र क्रमांक / 6-MPR036/2023-BHO/I/74898 दिनांक 18.06.2024 एवं इस कार्यालय का पृ0 पत्र क्रमांक / माचि / 1755 दिनांक 24.06.2024 के संबंध मे सूचनार्थ सम्प्रेषित।

2 वन संरक्षक भोपाल वृत्त भोपाल की ओर अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध) म0प्र0 भोपाल के पत्र क्रमांक / एफ–5 / 1294 / 2023 / 10–11 / 3219 दिनांक 19.06.2024 जो कि आपको पृष्ठांकित है के संबंध मे एवं एवं इस कार्यालय का पृ0 पत्र क्रमांक / माचि / 1755 दिनांक 24.06.2024 तथा आपके पृ0 पत्र क्रमांक / माचि / 3880 दिनांक 24.07.2024 के संबंध मे सूचनार्थ प्रेषित।

वन मण्डलाधिकारी,
सामान्य वनमण्डल रायसेन